प्रेस नोट

दिनांक- 24.06.2025

थाना रूरा पुलिस द्वारा शिवलिंग पर रक्त चढ़ाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत शिवलिंग पर रक्त चढ़ाने की घटना में दिनांक 22.06.2025 को मु0अ0सं0 200/2025 धारा 298 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हर्षित अग्निहोत्री पुत्र राजेश अग्निहोत्री उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बचीत भरथू थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 24.06.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर नहर पुल कस्बा रूरा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. हर्षित अग्निहोत्री पुत्र राजेश अग्निहोत्री उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बचीत भरथू थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

घटना का विवरण-

दिनांक 21.06.2025 को प्रातः लगभग 08 बजे अभियुक्त हर्षित ने अपने दाहिने हाथ की बाजू के नीचे ब्लेड से नस काटकर रक्त निकाला और उसे गाँव के बाहर स्थित मण्डलेश्वर मन्दिर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इसके बाद वह गांव के ही एक निजी चिकित्सक से पट्टी कराकर घर चला गया। दिनांक 22.06.2025 को अम्बिका प्रसाद पुत्र श्री कन्नौजी लाल द्विवेदी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रुरा पर मु0अ0सं0 200/2025 धारा 298 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त हर्षित अग्निहोत्री पुत्र राजेश अग्निहोत्री उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बचीत भरथू थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना रूरा पुलिस टीम